# अनुदान संख्या 55 - गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
# GRANT No. 55–OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | | | |
| *मूल* | *Original* | *2,00* | | *3,00* | . . | *–3,00* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *1,00* | | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *2,00* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 1106,98,00 | | 1106,99,00 | 815,14,83 | –291,84,17 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 290,19,26 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए *1.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* सहित) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.3.00 lakhs* (including supplementary *appropriation* of *Rs.1.00 lakh* obtained in March, 2006) remained wholly unutilised in one case under Major Head "2235" - "Social Security and Welfare".

2. In the voted portion of revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2070" | Major Head "2070" | | | | |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | Other Administrative Services | | | | |
| मू. | O. | 2689.00 | 1039.00 | 993.87 | –45.13 |
| पु. | R. | –1650.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत-<br>Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2235''<br>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | Major Head "2235"<br>Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 46517.00 | 40655.97 | 40583.33 | –72.64 |
| पु. | R. | –5861.03 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2245''<br>प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | Major Head "2245"<br>Relief on account of natural calamities | | | | |
| मू. | O. | 7588.00 | 5079.85 | 5062.28 | –17.57 |
| पू. | S. | 1.00 | | | |
| पु. | R. | –2509.15 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601''<br>राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601"<br>Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 51797.00 | 32817.36 | 32814.09 | –3.27 |
| पु. | R. | –18979.64 | | | |

(I) 548.50 लाख रु. का प्रावधान (दो शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 500.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2235'' - "पुनर्वास - भारत-पाक युद्ध, 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास - पाक अधिकृत कश्मीर और छंब निआबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति'' के अंतर्गत विस्थापित व्यक्तियों को अदायगी किए जाने के बारे में जम्मू तथा कश्मीर की सरकार द्वारा प्रस्तावों के न भेजे जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2070'' - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय पहचान-पत्र स्कीमें'' के अंतर्गत 1695.13 लाख रु. की बचत (1989.00

(I) Provision of Rs.548.50 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2005 under two heads) remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2235" - "Rehabilitation-Relief and Rehabilitation of Persons affected by Indo-Pak Conflict, 1971- Displaced persons from PAK occupied Kashmir and Chhamb Niabat Area" - due to non-sending of proposals by the Government of Jammu and Kashmir regarding payment to displaced persons.

(II) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure - National Identity Card Schemes" -

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहुप्रयोज्य राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीमें - केंद्रीय सरकार पेंशन - 2572.37 लाख रु. की बचत (40000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैदराबाद स्वतंत्रता आंदोलन और गोवा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मामलों में पेंशनें कम संख्या में स्वीकृत किए जाने, अप्रैल 2005 से जनवरी, 2006 तक की अवधि के दावे अस्वीकृत किए जाने और पेंशनभोगियों की संख्या में गिरावट आने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास'' - 2855.53 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए रेल मंत्रालय से प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम'' - 999.94 लाख रु. की बचत (2195.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरों में कमी किए जाने, संबंधित भारतीय दूतावासों से ब्योरे प्राप्त होने में विलंब होने, वाहन और टेलीफोन/फैक्स के रख-रखाव पर कम व्यय होने और अभियान ब्योरों/संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 400.21 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नामित किए गए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संसाधन संस्थानों द्वारा उनके पूर्व व्यस्त होने की वजह से प्रशिक्षकों और इंजीनियरों/वास्तुविदों के लिए प्रशिक्षण की गति धीमी होने और कार्यशाला/संगोष्ठी से संबंधित कार्यक्रम के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) ''राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और आपदा होने पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए विशेषीकृत क्षमता का निर्माण'' - 1125.57 लाख रु. की बचत (4693.00

saving of Rs.1695.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1989.00 lakhs) was due to non-issue of Multipurpose National Identity Card.

(III) Under Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Swatantrata Sainik Samman Pension Schemes - Central Government Pension" - saving of Rs.2572.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40000.00 lakhs) was due to less number of pensions sanctioned in Hyderarad Liberation Movement and Goa Liberation Movement cases, rejection of claims for the period April 2005 to January, 2006 and decrease in the number of pensioners.

(B) "Other Programmes - Free Railway Passes to Freedom Fighters" - saving of Rs.2855.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from the Ministry of Railway for availing of this facility by the freedom fighters.

(IV) Under Major Head "2245" - "General - Management of natural disasters, contingency plans in disaster Prone areas" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Disaster Management Programme" - saving of Rs.999.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2195.00 lakhs) was due to reduction in foreign visits, delay in receipt of details from Indian Embassies concerned, less expenditure on maintenance of vehicle and telephone/fax and delay in finalisation of campaign details/contracts.

(B) "National programme for Capacity building for Earthquake Risk Management" - saving of Rs.400.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to slow progress of training for trainers and engineers/architects by designated National and State level resource institutes owing to their preoccupations and less requirement for programme related workshop/seminar.

(C) "Setting up of National Emergency Management Authority and Building up specialised capability for rapid intervention in case

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, दिहाड़ी मजदूरों को नियुक्त न किए जाने, विदेशी दौरे न किए जाने, होटल आवास को अस्थायी रूप से किराए पर लिए जाने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपातकाल संचार योजना के चरण-II को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

of disasters" - saving of Rs.1125.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4693.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-engagement of daily wagers, non-taking up of foreign tour, temporary hiring of hotel accommodation and delayed finalisation of Phase II of the Emergency Communication Plan by the National Disaster Management Authority.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(V) Under Major Head "3601"- "Non - Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र - अन्य अनुदान - बोडो प्रादेशिक परिषद सचिवालय के लिए प्रशासनिक अवसंरचना का विकास" - 1830.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले में प्रशासनिक अवसंरचना का गठन करने के लिए उन्हें पहले स्वीकृत की गई राशि से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(A) "North Eastern Areas - Other Grants - Development of Administrative Infrastructure for Bodo Territorial Council Secretariat" - saving of Rs.1830.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-furnishing of utilisation certificate for the amount sanctioned to them earlier for creating Administrative Infrastructure in Bodoland Territorial Area District.

(खा) "जेल - अन्य अनुदान - जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण" - 10400.00 लाख रु. की बचत (28400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Jails-Other Grants-Modernisation of Prison Administration"-saving of Rs.10400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28400.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments under the scheme.

(गा) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें -

(C) "Rehabilitation-Other Rehabilitation Schemes" -

(क) "मिज़ोरम" - 2196.00 लाख रु. की बचत (2201.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिज़ेरम की सरकार द्वारा अपने घरों से भागकर आए ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई। ये शरणार्थी वर्ष 2005-06 के दौरान मिजोरम नहीं लौट सके थे। इन निधियों का पुनर्विनियोग इन शरणार्थियों के पालन-पोषण के लिए त्रिपुरा की सरकार को किया गया था।

(a) "Mizoram" - saving of Rs.2196.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2201.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds provided by the Government of Mizoram to rehabilitate the Bru refugees who fled their homes in Mizoram and living in Tripura. These refugees could not return to Mizoram during 2005-06. The funds were re-appropriated to Government of Tripura for maintenance of these refugees.

(ख) "जम्मू तथा कश्मीर राहत और पुनर्वास" - 4417.90 लाख रु. की बचत (15311.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू तथा कश्मीर की राज्य

(b) "Jammu and Kashmir Relief and Rehabilitation" - saving of Rs.4417.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15311.00 lakhs) was due to non-receipt

सरकार से समय पर दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''पुनर्वास - श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्ति - राहत अनुदान'' - 1270.49 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चावल के विभेदक मूल्य के प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने और श्रीलंका में अशांत स्थितियों की वजह से तमिलनाडु की राज्य सरकार से श्रीलंकाई शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - त्रिपुरा'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1100.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) विशेष आर्थिक विकास पैकेज के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए त्रिपुरा की सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता होने और त्रिपुरा में राहत शिविरों में बसाए गए रिआंग (ब्रू) शरणार्थियों का भरण-पोषण किए जाने के कारण हुआ।

of claims from the State Government of Jammu and Kashmir in time.

(D) "Rehabilitation- Repatriates from Sri Lanka - Relief Grants" – saving of Rs.1270.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to non-receipt of re-imbursement claims of differential cost of rice and non-materialisation of repatriation of Sri Lankan refugees from the State Government of Tamil Nadu owing to disturbed conditions in Sri Lanka.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes - Tripura" - excess of Rs.1100.00 lakhs (against nil provision) was due to requirement of funds by the Government of Tripura to start implementation of projects under Special Economic Development Package and for maintenance of Reang (Bru) refugees settled in relief camps in Tripura.